संख्या- 21 /2018/1098/अडतीस-7-2018-134/2015टीसी

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
उप सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 09 जुलाई, 2018**

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजनान्तर्गत तृतीय चरण के 03 क्लस्टर्स की सीजीएफ की प्रथम किश्त केन्द्रांश एवं केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-मनरेगा/श्यामाप्र0मु0रू0मि0/पत्रा0सं0-06/2048/2018-19 दिनांक 13-06-2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-12011/02/2018रूर्बन(एसएलनं0-16), दिनांक: 29-05-2018 द्वारा तृतीय चरण के 03 क्लस्टर्स(मिधाकुर, जनपद आगरा, रायपुर, जनपद बहराइच तथा श्रीनगर, जनपद महोबा प्रति क्लस्टर हेतु रू0 5.40 करोड मात्र) हेतु सीजीएफ की प्रथम किश्त की केन्द्रांश की कुल धनराशि रू0 1620.00 लाख (रूपये सोलह करोड बीस लाख मात्र) एवं इसके सापेक्ष 03 क्लस्टर्स(मिधाकुर, जनपद आगरा, रायपुर, जनपद बहराइच तथा श्रीनगर, जनपद महोबा प्रति क्लस्टर हेतु रू0 3.60 करोड मात्र) हेतु राज्यांश की कुल धनराशि रू0 1080.00 लाख (रू0 दस करोड अस्सी लाख मात्र) इस प्रकार केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि रू0 2700.00 लाख (रू0 सत्ताइस करोड मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने हेतु निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुत: जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते मे रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व प्रशा0 विभाग का होगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/ अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित मदों में तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार पत्र/स्वीकृत आदेश दिनांक 29-05-2018 की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

7- धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है।अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-135/दस-2018-231/2018, दिनांक: 30 मार्च, 2018 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनान्तर्गत निर्धारित मद में वित्तीय नियमों के अनुपालन का दायित्व अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक "4515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- 102- सामुदायिक विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशा0 पत्र संख्या-यूओ-ई-2-721/X-18, दिनांक: 03 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(विजय बहादुर वर्मा)
उप सचिव।

<u>संख्या-21 /2018/1098(1)/अड़तीस-7-2018 तददिनांक:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार(रूर्बन डिवीजन), कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. प्रमुख सचिव/निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मण्डलायुक्त, आगरा, देवीपाटन एवं चित्रकूटधाम मण्डल, उत्तर प्रदेश।
8. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, आगरा, महोबा, बहराइच, उ0प्र0।
9. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
11. राज्य योजना आयोग-1/2
12. विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(विजय बहादुर वर्मा)
उप सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है।अत :स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।